भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1124

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना

†1124. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री हनुमान बेनीवाल:
श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश विशेषरूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन संबंधी जिले-वार वर्तमान स्थिति क्या है और इसमे कितनी प्रगति हैं;
(ख) क्षेत्रीय वितरण और प्राथमिकता सहित स्कूलों के लिए स्मार्ट कक्षा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तय मानदंड और चयन प्रक्रिया क्या है;
(ग) पिछले वित्तीय वर्ष में स्मार्ट कक्षाओं के विकास के लिए कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया और इन परियोजनाओं के लिए धनराशि के स्रोत क्या हैं;
(घ) सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र जुड़ाव और अधिगम के परिणामों पर स्मार्ट कक्षाओं के प्रभाव का आकलन क्या है;
(ङ) क्या राजस्थान में शिक्षकों के शिक्षण कौशल के उन्नयन के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार छात्रों के ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): देश भर में 1,26,881 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं अनुमोदित की गई हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला-वार अनुमोदित स्मार्ट कक्षाओं का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques लिंक पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में देश भर के छठी से बारहवीं तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के अंतर्गत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और

डिजिटल पहल' के तहत अनावर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों हेतु उपलब्ध है:

(i) **विकल्प I:** इस विकल्प के तहत, जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है वे अपनी अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार या तो आईसीटी या स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर खरीदने की छूट है। इसमें अनुमोदित विद्यालयों की संख्या के यथानुपात आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षाओं, आभासी कक्षाओं और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

(ii) **विकल्प II:** इस विकल्प के तहत, जो स्कूल पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, वे योजना के प्रतिमानकों के अनुसार स्मार्ट कक्षाओं/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

- **आईसीटी लैब:** प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपये तक का अनावर्ती अनुदान और **5** वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्कूल प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष 2023-24 से, यह योजना स्कूल नामांकन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषण भी प्रदान करती है। **(**संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, संख्या 100-250 के बीच: 4.5 लाख रुपये, संख्या 250-700 के बीच: 6.4 लाख रुपये**)**

- **स्मार्ट कक्षाएं:** स्मार्ट कक्षाओं (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाएं) के लिए अनावर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये का है और आवर्ती अनुदान 38000/- रुपये का (ई-सामग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली का शुल्क शामिल**)** है।

राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत व्यय के लिए आवश्यक धनराशि के अनुसार घटक-वार व्यय का परिव्यय तैयार किया जाता है तथा योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के घटक-वार परिव्यय की समीक्षा करता है। भारत सरकार समग्र शिक्षा के कार्यक्रमगत और वित्तीय मानदंडों के अनुसार सभी कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा गतिविधि-वार धनराशि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) की डिजिटल पहल विशेष रूप से स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती है और कक्षा को प्रौद्योगिकी-संचालित कक्षा में परिवर्तित करती है। छात्रों को मल्टीमीडिया विषय-वस्तु और संवादात्मक गतिविधियों के साथ सहभागिता बढ़ाने के साथ-साथ व्यापक श्रेणी के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह छात्रों के समग्र शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करते हुए उनकी गहन समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता में सहायता प्रदान करता है।

विगत राजकोषीय वर्ष में स्मार्ट कक्षाओं के विकास के लिए आबंटित बजट अनुलग्नक में दिया गया है।

(ङ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

वर्ष 2021-22 में निष्ठा प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में निष्ठा के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	निष्ठा प्रारंभिक (प्रत्यक्ष)	निष्ठा प्रारंभिक	निष्ठा माध्यमिक	निष्ठा एफएलएन	निष्ठा ईसीसीई
राजस्थान	232638	173265	103908	133633	42891

स्रोत: एनसीईआरटी

(च) समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में शामिल है। यह योजना न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसे एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप भी बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अवसर प्राप्त हो, जिन्हें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए।

समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यकलाप: (i) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा; (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान; (iii) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सर्वसुलभ पहुंच; (iv) यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों आदि सहित आरटीई पात्रता (v) गुणवत्ता और नवाचार (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता (vii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (viii) जेंडर और समानता (ix) समावेशी शिक्षा (x) अध्यापक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण (xi) व्यवसायफरक शिक्षा (xii) आईसीटी और डिजिटल पहल (xiii) खेल और शारीरिक शिक्षा (xiv) निगरानी और कार्यक्रम प्रबंधन और (xv) राष्ट्रीय घटक, हैं।

शिक्षा समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सुलभ, वहनीय, न्यायसंगत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री नरेश गणपत म्हस्के, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री प्रवीण पटेल, श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा "सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत राजकोषीय वर्ष में स्मार्ट कक्षाओं के विकास के लिए आवंटित बजट का राज्यवार विवरण:

		राशि लाख में
क्रम संख्या	**राज्य**	**वर्ष**
		2023-2024
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	7552.8
3.	अरुणाचल प्रदेश	244.8
4.	असम	4082.4
5.	बिहार	4754.4
6.	चंडीगढ़	2.4
7.	छत्तीसगढ़	1245.6
8.	दादरा और नगर हवेली	24
9.	दिल्ली	1350
10.	डीएनडी- डीएनएच	19.2
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	1072.8
13.	हरियाणा	1046.71
14.	हिमाचल प्रदेश	0
15.	जम्मू और कश्मीर	892.8
16.	झारखंड	820.8
17.	कर्नाटक	735
18.	केरल	276
19.	लद्दाख	48
20.	लक्षद्वीप	0
21.	मध्य प्रदेश	7807.2
22.	महाराष्ट्र	501.6
23.	मणिपुर	136.8
24.	मेघालय	0
25.	मिजोरम	0
26.	नागालैंड	31.2
27.	ओडिशा	0
28.	पुडुचेरी	0
29.	पंजाब	720
30.	राजस्थान	8208
31.	मध्य प्रदेश	0
32.	महाराष्ट्र	0
33.	मणिपुर	1672.8
34.	मेघालय	100.8
35.	मिजोरम	10149.6
36.	उत्तराखंड	234
37.	पश्चिम बंगाल	0

स्रोत: प्रबंध